न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
172/प्रा0प0/2018	24.12.2018	हरबिन्दर डी0 सिंह, आर0ए0एस0

कल्याण आत्मज पांथु जी जाति कुशवाह निवासी ग्राम गुढ़ानाथावतान् तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रार्थी

—बनाम—

1. बल्फा आ0 कान्हा जाति कुशवाह निवासी गुढ़ानाथावतान् तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी राज०।

—अप्रार्थीगण

वाद— वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा।
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राज0टि0 एक्ट।

निर्णय

दिनांक—11.11.2024

उपस्थित— वादी की ओर से श्री राजकुमार गोयल, एडवोकेट।
प्रतिवादी की ओर से श्री अनुराग शर्मा, एडवोकेट।

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा उक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय ने पेश कर दिया है जिसमें सफलता को पूरी—पूरी आशा हैं। जमाबंदी संवत 2072 से 75 की जमाबंदी से खाता संख्या नया 429 पुराना 228 के खसरा संख्या 392 रकबा 13 बिस्वा किस्म बीड गै0मु0चाह ग्राम गुढ़ानाथावतान् तहसील एवं जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 9/16 हिस्सा निहित है तथा अप्रार्थी का 1/36 हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज चला आ रहा है तथा कुयें से पानी लेकर अपने हिस्से की उक्त भूमि तथा शेष भूमियो को पानी पिलाता आ रहा है। अप्रार्थी प्रार्थी से रंजिश रखता है और जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करना चाहता है तथा उसको पानी लेने से रोकता हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से कई बार मना करने के उपरांत भी अप्रार्थी को प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने को चाह रखता है और प्रार्थी से कहता है कि उक्त भूमि तो मेरी है और इस पर मैं कब्जा करके रहूँगा। अंतिम बार अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से दिनांक 20.10.2018 को भूमि पर आ गया और प्रार्थी को भूमि पर से बेदखल करने की धमकी दी। प्रार्थी ने बड़ी मुश्किल से अप्रार्थी को रोका अन्यथा अप्रार्थी प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर लेता। इसलिये प्रार्थी को आधिकार प्राप्त है कि ताफैसला वाद अप्रार्थी को इस आशय को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि वह प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा संख्या 392 रकबा 13 बिस्वा में निहित प्रार्थी के 9/16 हिस्से पर कब्जा नहीं करे और न ही कुयें से प्रार्थी को पानी लेने से रोके न ही ऐसा अन्य से करावें। इत्यादि अंकित निवेदन किया कि अप्रार्थी को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह प्रार्थी के स्वामित्व/आधिपत्य की भूमि खसरा संख्या 392 रकबा 13 बिस्वा वाके ग्राम गुढ़ानाथावतान् तहसील व जिला बून्दी राज0 में निहित प्रार्थी के हिस्से 9/16 पर कब्जा नहीं करे और न ही प्रार्थी को उक्त भूमि में स्थित कुयें में पानी लेने से रोके न ही ऐसा अन्य से करावें। अन्य यथोचित सहायता जो सुलभ हो प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:27:30 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब किये। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 स्वीकार नहीं है, अस्वीकार है। प्रार्थी ने असत्य तथ्यों पर वाद

पेश किया है, जो खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र की चरण सं० 2 में भूमि का ग्राम गुढानाथावतान् में होना स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र की चरण सं० 3 स्वीकार नहीं, अस्वीकार है। कुआ वर्षो से सुखा हैं जिसमें इसी वर्ष पानी आया हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 स्वीकार नहीं, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 स्वीकार नहीं, अस्वीकार है। प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध झूंठी रिपोर्ट करवाता रहता हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 स्वीकार नहीं, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 स्वीकार नहीं, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण सं० 8 स्वीकार नहीं, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण सं० 9 स्वीकार नहीं, अस्वीकार हैं। प्रार्थी का न तो प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित हैं और न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 कानूनी है। प्रार्थना स्वीकार नहीं है, अस्वीकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा करें। बार–बार पर्याप्त अवसर दिये जाने उपरान्त भी जवाब पेश नही करने से जवाब सरकार बंद किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी विवादित आराजी गै0मु0 चाह के संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं व सभी को शामलाति कुऐं से अपनी फसल के सिंचाई का अधिकार प्राप्त हैं किन्तु अप्रार्थी प्रार्थी को कुऐं से सिंचाई करने नहीं दे रहा हैं और लडाई–झगडें पर आमादा हो रहा हैं व कुऐं पर कब्जा करने की नियत रखता हैं। वाद के समग्र निर्णय में समय लगने की सम्भावना हैं, इसलिये अप्रार्थी को दौराने वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की कृपा करें। अप्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थी के कथनों का विरोध किया और जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि कुऐं में पानी इसी वर्ष आया हैं। पहले कुंआ सुखा था, जिसमें पानी नहीं था और अप्रार्थी सिंचाई नहीं करता था। चूंकि अप्रार्थी भी प्रार्थी के साथ विवादित आराजी में सहखातेदार दर्ज रेकार्ड हैं, इसलिये प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज करने की कृपा करें।

बहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा बहस पर मनन किया और पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। आराजी खसरा संख्या 392 रकबा 13 बिस्वा किस्म बीड़ गै0मु0 चाह ग्राम गुढ़ानाथावतान तहसील व जिला बून्दी राजस्थान में प्रार्थी कल्याण का 1/16 तथा बल्फा का 1/36 हिस्सा निहित हैं। इनके अतिरिक्त भी सहखातेदार जमाबंदी में दर्ज रेकार्ड हैं जो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे, किन्तु प्रार्थी द्वारा उनको प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया हैं। किन्तु यहां उल्लेखनीय तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कथन "कि अप्रार्थी प्रार्थी को शामलाति कुऐं से सिंचाई करने नहीं दे रहा और कुऐं की भूमि पर कब्जा करना चाहता हैं" का विरोध न तो अपने जवाब प्रार्थना पत्र में किया हैं और न ही दौराने बहस किया हैं और न ही इसके विरोध में कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश किया हैं। जिससे प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रमाणित होना प्रतीत होता हैं, यदि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को अपनी फसल की सिंचाई शामलाति कुऐं से नहीं करने दी जाती हैं तो प्रार्थी को फर्दन क्षति होने की सम्भावना हैं। चूंकि प्रार्थी आराजी का सहखातेदार है और प्रार्थी को अपनी फसल की सिंचाई शामलाति कुयें से करने का अधिकार प्राप्त हैं। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को शामलाति कुयें से सिंचाई करने में व्यवधान उत्पन्न न करने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं और अप्रार्थी संख्या 1 को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वह प्रार्थी को शामलाति कुयें खसरा संख्या 392 रकबा 13 बिस्वा किस्म बीड़ गै0मु0 चाह ग्राम गुढ़ानाथावतान् से अपनी फसल की सिंचाई करने से न रोके, ऐसा न तो स्वयं करे और न अन्य से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार बाद पूर्ति संलग्न मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को सरे [illegible]ाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:37:30 IST
Reason: SelfAttested

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी